

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री नरेन्द्रकुमार वर्मा आर ए एस

राजस्व प्रकरण संख्या 02/58/2019

वउनवान

1. मुंशी पुत्र गिरधारी जाति खटीक निवासी कठूमर तहसील कठूमर

----- प्रार्थी

बनाम

1. रामोतार गंगाराम जाति जाटव निवासी सुरीकानगला तहसील कठूमर

2. न्यू अरावली शिक्षा समिति जरिये सचिव रणवीर पुत्र तुहीराम जाति जाट
निवासी कठूमर तहसील कठूमर

----- अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यु एक्ट

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

श्री गिरधारीलाल शर्मा : वकील प्रार्थी

श्री सुभाशचन्द शर्मा- अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1-2

निर्णय

दिनांक 20.08.2019

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हे कि आराजी खसरा नम्बर 1353/2406 रकवा 0.59 हे. व 1353/2407 रकवा 0.58 हे. ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के न्यायालय में जरिये राजीनामा आराजी खसरा नम्बर 1353 रकवा 1.18 हे. वाके ग्राम कठूमर का वंटवारा दिनांक 30.08.2007 को हो गया जिसमें आराजी खसरा नम्बर 1353 मिन तरफ पश्चिम रकवा 0.01 हे. रामवती पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी कठूमर व खसरा नम्बर 1353 मिन तरफ दक्षिण रकवा 0.58 हे. जिसमें रास्ता 35 फुट खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1353 में रामवती व मुंशी के बीच रखा जाकर उक्त रकवा न्यू

अरावली शिक्षा समिति जरिये रणवीर पुत्र तूहीराम कौम जाट निवासी कठूमर का रकवा 0.58 हे. का रहेगा। खसरा नम्बर 1353 मिन तरफ उत्तर रकवा 0.59 हे. प्रार्थी गुंशी पुत्र गिरधारी कौम खटीक निवासी कठूमर का रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हुई तथा पर्चा डिकी की पालना में इजराय हुई जिसमें हलका पटवारी द्वारा प्रार्थी का खसरा नम्बर 1353/2406 रकवा 0.59 हे. तरफ उत्तर व अप्रार्थी संख्या 2 का रकवा 1353/2407 रकवा 0.58 हे. रेकार्ड में तरगीम कर बना है मौके पर हल्का पटवारी द्वारा ना तो पैमाइस कर सीमा ज्ञान करवाया गया तथा कुरेजात रिपोर्ट भी प्रार्थी की अनुपस्थिति में कराई गई तथा प्रार्थी द्वारा मौके पर विना सीमा ज्ञान व पत्थरगढी के 35 फुट रास्ते के स्थान पर 40 फुट रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि को दवाकर पक्की दीवार का निर्माण करा दिया प्रार्थी के मना करने पर नहीं माने जिस कारण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। दिनांक 06.06.2018 को प्रार्थी ने अपने घरेलु आवश्यकता की पूर्ति के लिये अपने आराजी खसरा नम्बर 1353/2406 रकवा 0.59 हे. में से 7/118 हिस्सा यानि 3745 वर्ग फुट जमीन का तरफ दक्षिण में अप्रार्थी सं0 2 की खसरा नम्बर 1353/2407 रकवा 0.58 हे. की तरफ उत्तर की डौल के साइड में अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये एग्रीमेंट 775000 रूपया में 111100 रूपया साई लेकर वेचान कर दिया तथा दिनांक 21.06.2018 को वयनामा करा दिया व मौके पर कबजा दे दिया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने बकाया रकम घर देने के लिये कहा था साई में दी गई रकम को वयनामा लिख दिया गया तथा सारी भात ईकरारनामा में लिखी हुई है वेईमानी का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथा घर पर प्रार्थी के बकाया रकम मांगने पर कहा कि दो दिन वाद दे देगें फिर दो दिन बाद बकाया रकम मांगने पर कहने लगा मैंने तो यह भूमि न्यू अरावली शिक्षा समिति अप्रार्थी संख्या 02 रणवीर पुत्र तूहीराम जाति जाट निवासी कठूमर को वेचान कर दी उनसे पैसे आने पर तुम्हें दे दूंगा व मौके पर कबजा देकर पक्की दीवार का निर्माण करा दिया तब प्रार्थी द्वारा बकाया रकम मांगने पर अप्रार्थी द्वारा नहीं देने पर धारा 420-406 ता0हि0 में प्रकरण दर्ज करा दिया व वयनामा कंसिल का दावा भी न्यायालय सिविल जज कठूमर में कर रखा है। इस प्रकार

पैमाइस व सीमाज्ञान कराकर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अनी आराजी में प्रार्थी की सहमति से निर्माण किया गया था तथा वक्त निर्माण प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं थी। अब सीमा ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है। इस वजह से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में जमाबन्दी हाल वाके ग्राम कठूमर किता 2 पेश की है जो भामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये उक्त आराजी का सीमा ज्ञान व पत्थरगढी कराने व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीयान ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी का कानूनी वंटवारा पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा व सहमति से अदालत में दावा पेश कर व राजीनामा पेश कर सहमति देकर डिकी हुआ है उसी अनुसार अलग अलग खातेदारी हुई है अप्रार्थी द्वारा जो दीवार निर्माण की गयी है वह प्रार्थी की सहमति से निर्मित की है। अब जो प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अदालत श्रीमान में पेश किया है वो गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबन्दी के अवलोकन से खसरा नम्बर 1353/2406 रकवा 0.59 हे. वाके ग्राम कठूमर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की भामलात खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1353/2407 रकवा 0.58 हे. ग्राम कठूमर अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी का नाम आराजी खसरा नम्बर 1353/2406 वाके ग्राम कठूमर के 1/2 हिस्सा पर दर्ज है। अतः प्रार्थी अपनी उक्त आराजी खसरा नम्बर 1353/2406 वाके ग्राम कठूमर का सीमा ज्ञान करवाने व पत्थरगढी कराने का अधिकारी पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नम्बर

अप्रार्थीया ने 7/118 हिस्से का कब्जा प्राप्त कर आराजी खसरा नम्बर 1353/2407 रकवा 0.58 हे. में मिला लिया तथा रेवन्यु बोर्ड के स्टे के बाबजूद पुलिस प्रशासन से मिलकर पक्की दीवार का निर्माण कर लिया। लैण्ड रेवन्यु एक्ट की धारा 128 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1353/2406 रकवा 0.58 हे. व अप्रार्थी संख्या 02 के खसरा नम्बर 1353/2407 रकवा 0.58 हे. वाके ग्राम कठूमर का सीमा ज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। यदि सीमा ज्ञान नहीं कराया गया तो प्रार्थी को काफी नुकसान क्षति व असुविधा होना संभव है। इस वजह से अप्रार्थीयान को पाबन्द किया जाना जरूरी है जिस हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी सं० 1-2 हाजिर आये। जिन्होंने अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 1353/2407 वाके ग्राम कठूमर से प्रार्थी का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है और ना उक्त आराजी विवादित है। खसरा नम्बर 1353 पूर्व मते प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की भामलात खातेदारी की आराजी थी जिसमें पक्षकारान के मध्य वंटवारा हुआ। वाद पत्र राजीनामा के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा डिकी फरमा दिया गया। जिस आधार पर उक्त आराजी पक्षकारान के नाम अलग अलग दर्ज हो गई। खसरा नम्बर 1353/2407 अप्रार्थी संख्या 2 को व खसरा नम्बर 1353/2406 प्रार्थी को दिया गया जिसमें से जरिये राजीनामा प्रार्थी मुंशी ने अपनी आराजी में से 35 फुट चौडाई यानि पूर्व पश्चिम अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी को जाने के लिये दिया गया जिस रास्ते का राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा में अंकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 शिक्षा समिति द्वारा अपनी स्वयं की आराजी खसरा नम्बर 1353/2407 में चार दीवारी का निर्माण कराया गया है तथा इसी प्रकार 35 फुट रास्ता की दीवार कर दी गई। उक्त आराजी विधिनुसार अलग अलग खातेदारी में दर्ज हुई है। खसरा नम्बर 1353/2406 में से 7/118 हिस्सा की जमीन का वेचान अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया है वेचान की पूरी रकम प्रार्थी ने प्राप्त करली व कब्जा संभलाया गया है। मौके पर

कठूमर से किसी तरह का बास्ता नहीं पाया जाता है। खसरा नम्बर 1353/2406 रकवा 0.59 हे. वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर वावत तहसीलदार को विधिनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थर गढी व सीमाज्ञान के आदेश मूल प्रार्थना पत्र में जारी कर दिये है। प्रार्थी को अप्रार्थीयान से किसी तरह का नुकसान व क्षति होती है इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। यदि अप्रार्थीयान को पाबन्द कर दिया गया तो अप्रार्थीयान को नुकसान असुविधा व क्षति होना संभव है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु प्रार्थी के पक्ष में सावित ना होकर अप्रार्थीयान के पक्ष में सावित है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सावित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील मूल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हो।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 20.08.2019 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर